अपने उपभोक्ताओं को अपेक्षित मात्रा में पैट्रोल की सप्लाई नहीं कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान सरकार को इस संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(घ) उपरोक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) पैट्रोल में मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) इस अवधि के दौरान 10 शिकायतें प्राप्त हुईं । जांच करने पर अल्पसुपुर्दगी की केवल एक शिकायत स्थापित की जा सकी जो पम्प में खराबी आने के कारण हुई थी । इस मामले में बिक्रियों को तब तक रोक दिया गया था जब तक कि माप और तोल विभाग द्वारा पुनः अंशांकन तथा स्टाम्पन कार्य समाप्त नहीं हो गया ।

(ङ) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तेल कंपनियों, राज्य सरकारों के माप और तौल तथा प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा नियमित और आकस्मिक जांच की जाती है ।

पैट्रोल तथा डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :--

(1) पैट्रोल पम्पों पर फिल्टर कागज परीक्षण ।

(2) आपूर्ति प्राप्ति दोनों ही स्थलों पर हाई स्पीड डीजल के तापमान और घनत्व को रिकार्ड करना ।

(3) मिट्टी के तेल में फरफ्यूरल मिलाना ।

(4) पैट्रोल पम्पों पर आकस्मिक निरीक्षणों के लिए चल प्रयोगशालाएं शुरू करना ।

(5) तेल कंपनी के अधिकारियों द्वारा पैट्रोल पम्पों तथा मिट्टी के तेल का एजेंसियों का नियमित निरीक्षण ।

(6) अनिवार्य वस्तुओं के वितरण और व्यापार को नियमित करने और किसी भी आनुषंगिक तथा अनुपूरक मामले के लिए उपयुक्त आदेश जारी करने के प्रयोजनों से राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

(7) मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति और वितरण में भ्रष्टाचार) आदेश, 1990 को लागू करना ।

गुजरात में सड़क विकास के लिए विदेशी सहायता

*218. **श्री राजूभाई ए० परमार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में सड़क परियोजनाओं को वित्त पोषित करने एवं उनके लिए ऋण दिए जाने हेतु विदेशी एवं विश्व बैंक सहायता प्राप्त हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) पहली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण के अधीन अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 68.5 मिलियन अमरीकी डालर की व्यवस्था की गई थी जिसे बाद में, विश्व बैंक द्वारा ऋण में से कुछ ठेकों

को रद्द किए जाने के कारण आलोचित करके लगभग 42.0 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया था ।

मच्छर भगाने वाले हानिकर कॉईल्स

*219. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में मच्छर भगाने वाले जो कॉईल्स उपलब्ध हैं उनका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे कॉइलों का कोई परीक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (ग) मच्छर भगाने वाले कॉइल्स में एक पदार्थ होता है जिसे एलेथ्रिन कहते हैं । यह पाइरेथ्रोइडम का संश्लेषित रूप है जो कि कई फूलों में पाया जाता है और इसमें मच्छरों को भगाने की क्षमता होती है । एलेथ्रिन का कई वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है और सर्वप्रथम जापान में इसे आरम्भ किया गया था । एलेथ्रिन के संश्लेषित अभिश्वसन के प्रभावों का चूहों पर अध्ययन किया गया था और इसके नुकसानदायक होने का कोई प्रमाण नहीं मिला ।

एलेथ्रिन पर आधारित मच्छर भगाने वाली दवाई कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत पंजीकृत समिति द्वारा पंजीकृत की गई है । यह समिति इस उत्पाद के मानव स्वास्थ्य पर विषाक्त प्रभावों सहित विभिन्न पैरामीटरों के आंकड़ों पर विचार करती है ।

अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों के आश्रितों को सहायता

*220. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता देने और अन्य राहत प्रदान किए जाने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान मारे गए अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए पहले से ही एक योजना है ।

(ख) योजना में इस प्रकार के कार्मिकों के परिवारों को, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना के अंतर्गत दी जाने वाली बीमा राशि और संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई भी अनुग्रह-पूर्वक अदायगी राशि सहित, 1 लाख रुपए की राशि दी जाने की व्यवस्था है । यह राशि उग्रवादियों द्वारा हमला किए जाने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप ड्यूटी पर मृत्यु होने के मामले में सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को उपलब्ध लाभ और सुविधाओं के अतिरिक्त है ।

Preservation and restoration fond

1271. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Central Government has been requested to set up a National